न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री परशुराम धानका आर.ए.एस.

अपील संख्याः—507/2020 (GCMS No. 2020/00530) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राधेश्याम पुत्र श्री किल्लर जाति जाट निवासी—गुढापोल तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)

.....अपीलांट

बनाम

1. भगवानसिंह पुत्र श्री किल्लर जाति जाट निवासी—गुढापोल तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)

.....असल रेस्पोडेन्ट

2. बृजमोहन पुत्र किल्लर
3. श्रीलाल पुत्र किल्लर
4. साबुती पुत्री किल्लर
5. राधादेवी पत्नी कलुआ
6. शांति पुत्री किल्लर
7. कांता पुत्री किल्लर

समस्त जाति जाट निवासीयान— गुढापोल तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)

8. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2019 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली अपील संख्या 58/17 उनवानी भगवानसिंह बनाम बृजमोहन वगै.।

उपस्थितिः—

1. अपीलांट व तरतीवी रेस्पो. सं. 4 लगा. 7 की ओर से श्री गोबिन्दसिंह डागुर, वकील

निर्णय दिनांक : 07.12.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 24.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर पेश की

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

गई थी। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बावजूद भी म्याद को बिना कन्डोन किये अपील का निस्तारण किया गया है। अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 1, 2, 3, 5, 7, 8 किल्लर के वारिसान है एवं राधादेवी कलुआ की पत्नी है। कलुआ की मृत्यु हो चुकी है एवं कलुआ की एक पुत्री हेमा जीवित है। राधादेवी अपीलांट की पत्नी नहीं है और न ही अपीलांट के नाते बैठी है बल्कि अपीलांट की पत्नी हीरावती है। मृतक किल्लर के पांच पुत्र क्रमशः अपीलांट भगवानसिंह, बृजमोहन, श्रीलाल, राधेश्याम, कलुआ है व पुत्रियों में साबुती, शांति, कांता, लच्छो है पत्नी सुफेदी है। उक्त वारिसान में कलुआ का स्वर्गवास काफी समय पहले हो चुका है जिसकी पत्नी राधादेवी है। अधीनस्थ न्यायालय में राधादेवी को पत्नी राधेश्याम गलत दिखाया गया है जबकि वह कलुआ की पत्नी है। किल्लर की एक पुत्री लच्छो को पक्षकार नहीं बनाया गया व मु. सफेदी बेवा किल्लर का स्वर्गवास आज से 5 माह पूर्व हो चुका है। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा मरे हुये व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगा. 7 की ओर से पैरवी हेतु श्री गोबिन्द सिंह डागुर एडवोकेट ने हाजिर अदालत आकर वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगा. 3 पर्याप्त तामील/सूचना के बाद भी उपस्थित नहीं हुये।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की अपील पर बहस सुनी गई।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की ओर ध्यान दिलाते हुये दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.12.2019 खिलाफ कानून होने से काविल खारिजी है। अपीलांट एवं रेस्पो. सं. 1, 2, 3, 5, 7, 8 किल्लर के वारिसान है एवं राधादेवी कलुआ की पत्नी है। कलुआ की मृत्यु हो चुकी है एवं कलुआ की एक पुत्री हेमा जीवित है। राधादेवी अपीलांट की पत्नी नहीं है और न ही अपीलांट के नाते बैठी है बल्कि अपीलांट की पत्नी हीरावती है। मृतक किल्लर के पांच पुत्र क्रमशः अपीलांट भगवानसिंह, बृजमोहन, श्रीलाल, राधेश्याम, कलुआ है व पुत्रियों में सावुती, शांति, कांता, लच्छो है पत्नी सुफेदी है। उक्त वारिसान में कलुआ का स्वर्गवास काफी समय पहले हो चुका है जिसकी पत्नी राधादेवी है। अधीनस्थ न्यायालय में राधादेवी को पत्नी राधेश्याम गलत दिखाया गया है जबकि वह कलुआ की पत्नी है। किल्लर की एक पुत्री लच्छो को पक्षकार नहीं बनाया गया व मु. सफेदी बेवा किल्लर का स्वर्गवास आज से 5 माह पूर्व हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मरे हुये व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

ही शुन्य है। रेस्पोडेन्ट ने नामांतरकरण संख्या 434 दिनांक 21.02.2017 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय में अपील की थी। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट भाई– बहन हैं। भूमि मां सहित जरिये नामांतरकरण सबके नाम आ गई है। मां सुफेदी की मौत हो चुकी है। किल्लर की मृत्यु के बाद उसके वारिसान पुत्रियों को छोडकर उनकी सहमति के आधार पर उसके पांचों पुत्र क्रमशः भगवानसिंह, बृजमोहन, श्रीलाल, राधेश्याम व कलुआ एवं एक पत्नी मु. सुफेदी के नाम वहिस्सा बराबर–बराबर तस्दीक हो गया एवं उसके बाद अपीलांट की मॉ को उसके हिस्से की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कृषि भूमि प्राप्त हो गई। जिसमें किसी पुत्र/पुत्री का अधिकार नहीं रहा। सुफेदी द्वारा दिनांक 21.07.2016 को रिलीजडीड अपीलांट के हक में पंजीकृत करा दी। रिलीजडीड के आधार पर मृतक सुफेदी के हिस्से का नामांतरकरण संख्या 434 अपीलांट के पक्ष में तहसीलदार हिण्डौन सिटी द्वारा तस्दीक कर दिया। रिलीजडीड यदि अवैध है तो उसे निरस्त करने का अधिकार राजस्व अदालत को न होकर सिविल न्यायालय का है। मृतक किल्लर की जायदाद में अन्य वारिसान को हिस्सा मिल गया तो सुफेदी के हिस्सा में रिलीजडीड करने के बाद अन्य किसी वारिसान का कोई हित निहित नहीं रहा तो तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामांतरकरण कैसे गलत हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि खाता संख्या 139, 56, 98, 119, 53 वांके ग्राम गुढापोल तहसील हिण्डौन में मु. सुफेदी बेवा किल्लर जाति जाट का 1/8 बदस्तूर जमाबंदी में दर्ज किया हुआ है। जिसे पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 11.02.2017 व ग्राम पंचायत मीटिंग दिनांक 20.02.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत ने निर्णय करने से मना कर दिया। उसी दिन पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बिना पक्षकारान की सुनवाई किये तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया गया। जो नियम विरूद्व है। तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत दोनों को ही समान अधिकार हैं। ग्राम पंचायत के मना करने पर तहसीलदार को नामांतरकरण स्वीकृत करने का अधिकार हासिल है। नामांतरकरण संख्या 434 पंजीकृत रिलीजडीड दिनांक 21.07.2016 पंजीकृत विलेख है जिससे मृतक किल्लर के वारिसान के हित प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजीकृत विलेख को निरस्त करने की कार्यवाही सिविल न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। सुफेदी की मृत्यु होने के बाद आदेश मृतक के खिलाफ पारित किया गया है। बहन लच्छो को पक्षकार नहीं बनाया गया। भगवानसिंह का कोई हक प्रभावित नहीं हुआ। मां का हिस्सा था उसने एक पुत्र अपीलांट राधेश्याम के नाम रिलीजडीड कर दी। प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश खारिज हो चुके हैं। प्रकरण

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से पूर्व तस्दीक नामांतरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि कोई राजस्व वाद जायदाद के बावत विचाराधीन है तो अंतिम निर्णय उभयपक्षकरान पर बाध्यकारी होगा। ऐसी स्थिति में नामांतरकरण तस्दीक होने के बाद अगर दावा प्रस्तुत किये गये है तो नामांतरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2015 (1) पेज 138 डीबी, 2022(2) आरआरटी पेज 1305, 2022(2) आरआरटी पेज 1410 डीबी, 2002, आरआरडी पेज 61, 2021(1) आरआरटी पेज 451, 2016(2) आरआरटी पेज 1129, 2003 (2) आरआरटी पेज 1390 एवं 2023(2) आरआरटी पेज 1227 प्रस्तुत किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.12.2019 निरस्त फरमाया जावे।

5. हमने विद्धान अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा माननीय न्यायालय के प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 139, 56, 98, 119, 53 वांके ग्राम गुढापोल तहसील हिण्डौन में स्थित है जो कि सुफेदी वेवा किल्लर के नाम जमाबंदी में दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 11.02.2017 व ग्राम पंचायत मीटिंग दिनांक 20.02.2017 को सरपंच ग्राम पंचायत पेश करने पर निर्णय से मना कर दिया गया। इसलिए नामांतरकरण तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष पेश किया गया। जिसे तहसीलदार द्वारा बिना पक्षकारान की सुनवाई उसी दिन पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नामांतरकरण स्वीकार किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मना कर दिया तो लैण्ड होल्डर की हैसियत से तहसीलदार को पक्षकारान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था। पटवारी हल्का ने सरपंच द्वारा नामांतरकरण नहीं भरने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। यदि सरपंच द्वारा नामांतरकरण भरने से मना किया गया तो उसकी रिपोर्ट पंचायत के कोरम की बैठक में आम सभा पंजिका में दर्ज होनी चाहिए थी। इसी संदर्भ में अन्य दावा उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन में विचाराधीन हैं जो कि खातेदारी विभाजन एवं स्थाई निषेद्याज्ञा के है जिनमें स्वयं तहसीलदार पक्षकार है। जिनका नामांतरकरण भरते समय कोई ध्यान नहीं दिया गया और जल्दबाजी में नामांतरकरण तस्दीक कर दिया गया। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को उभयपक्षकारान की सुनवाई करते हुए निर्णीत करने हेतु रिमाण्ड किया है तो दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष तहसीलदार हिण्डौन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए ताकि तहसीलदार हिण्डौन

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

वास्तविक पक्षकारों के जोडने/हटाने/उनके विधिक प्रतिनिधियों को प्रकरण में शामिल करने की कार्यवाही करते हुए उभयपक्ष की सुनवाई उपरान्त साक्ष्य सबूत के आधार पर विधि अनुसार निर्णय पारित कर सके। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दी गई दलीलों से हम कतई भी सहमत नहीं है और उनके द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय की नजीरें भी मौजूदा प्रकरण में उनकी मददगार साबित नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं समझते है। इस प्रकार अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

6. फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.12.2019 यथावत रखा जाता है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 07.12.2023 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशु राम धानका)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर